



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद की बैठक दिनांक 19.06.2018 का कार्यवृत्त

समय: 02:30 बजे

उपस्थिति

स्थान: माननीय कुलपति महोदय के आवासीय समागम

1. प्रो० सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	— अध्यक्ष
2. प्रो० जय गोपाल	— सदस्य
3. डा० अजय नाथ झा	— सदस्य
4. डा० भोला चौरसिया	— सदस्य
5. डा० अजीत कुमार चौधरी	— सदस्य
6. डा० एन०के० अग्रवाल	— सदस्य
7. डा० हीरा कान्त झा	— सदस्य
8. श्रीमती इस्मत जहाँ	— सदस्य
9. डा० बैद्यनाथ चौधरी	— सदस्य
10. डा० विनोद कुमार चौधरी	— सदस्य
11. श्री लक्ष्मेश्वर राय	— सदस्य
12. डा० महेन्द्र प्रसाद सिंह	— सदस्य
13. डा० अमर कुमार	— सदस्य
14. डा० धनेश्वर प्रसाद सिंह	— सदस्य
15. डा० हिमांशु शेखर	— सदस्य
16. श्री संजय सरावगी	— सदस्य
17. डा० फैयाज अहमद	— सदस्य
18. डा० डी० एन० पासवान	— सदस्य
19. मो० अमानुल हक	— आमंत्रित सदस्य
20. श्री विनोद कुमार	— आमंत्रित सदस्य
21. मुस्तफा कमाल अंसारी, कुलसचिव	— सचिव

कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों को शुभकामना देते हुए बैठक में सभी का स्वागत किया गया सदन की ओर से श्री संजय सरावगी ने कार्यवाही के विडियो रेकार्डिंग का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा साथ ही डा० अजित कुमार चौधरी एवं श्री लक्ष्मेश्वर राय ने अनुरोध प्रस्ताव किया कि सदन को पक्ष-विपक्ष से मुक्त कर विश्वविद्यालय के विकास कार्य के प्रति समर्पित होकर निर्णय में सहभागिता होनी चाहिए। उपरोक्त दोनों प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। तदउपरान्त, माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद सं० 1. अभिषद की गत बैठक दिनांक 15.04.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार।

निर्णय: गत बैठक दिनांक 15.04.2018 के कार्यवृत्त के मद सं० 4 में वित्त समिति की बैठक 21.03.2018 के अतिरिक्त मद सं० 1 को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 की कार्यवृत्त दो दिनों के अन्दर सदस्यों को हस्तगत करा दिया जाएगा, साथ

२२१२७/१९.६.१८

ही उसी बैठक के मद सं0 2 क्रय-विक्रय समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 के मद सं0 3 के निर्णय में (**HCL Company** से या उसके अधिकृत विक्रेता से) से हटा कर पढ़े जाने की सहमति बनी। क्रय-विक्रय समिति के ही मद सं07 में दीक्षांत समारोह में किराया एवं क्रय की प्रक्रिया को देखे जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। गत बैठक दिनांक 15.04.2018 के कार्यवृत के मद सं0 8 में उल्लेखित अतिरिक्त मद सं0 1 एस0 एम0 जे0 महाविद्यालय खाजेडीह की मामले को पुनः देखे जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। मद सं0 14 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों की कोटिवार कुल रिक्तियों की जानकारी दिए जाने का निर्देश दिया गया। उक्त संशोधन के साथ गत बैठक दिनांक 15.04.2018 के कार्यवृत को संम्पूष्ट किया गया।

मद सं0 2.

निर्णय:

मद सं03.

निर्णय:

मद सं0 4.

निर्णय:

मद सं0 5.

निर्णय:

मद सं0 6.

निर्णय:

मद सं0 7.

निर्णय:

मद सं0 8.

निर्णय:

अभिषद् की बैठक दिनांक 15.04.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेन पर विचार।

विचारोपरान्त, अभिषद् की बैठक दिनांक 15.04.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। परिशिष्ट –(क) पृ0सं0–(9–11)

विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

विचारोपरान्त, विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2018 के कार्यवृत अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ख) पृ0सं0–(12–16)

अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

विचारोपरान्त, अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ग) पृ0सं0–(17–18)

वित्त समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 07.06.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

विचारोपरान्त, वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.06.2018 के कार्यवृत के मद सं0 3 दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से संबंधित स्व-अधिगम सामग्री तैयार करवाने में होने वाली व्यय राशि 2,85,27,900/- की होने वाली प्रक्रिया से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। अन्य मदों को यथावत अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट (सह क्र0वि0स0)–(घ) पृ0सं0–(19–22)

परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 01.06.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

विचारोपरान्त, परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 01.06.2018 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ङ) पृ0सं0–(23–27)

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश 5859/96 दिनांक 20.10.2008 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच-प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार।

विचारोपरान्त, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश 5859/96 दिनांक 20.10.2008 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच-प्रतिवेदन को अनुमोदित करते हुए विधिक प्रक्रिया के अनुरूप सिनियरटी/डेट सिफिटंग किए जाने की सहमति बनी। परिशिष्ट –(च) पृ0सं0–(28–39)

अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2017 के अतिरिक्त मद सं0 13 के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार संत कबीर महाविद्यालय, समस्तीपुर के दो शिक्षक क्रमशः (1) श्री विनोद कुमार, सहायक प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग एवं (2) श्री नवीन कुमार निरंजन, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग की चयन-समिति की अनुशंसा के आलोक में शासी निकाय द्वारा की गयी नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किये जाने की जॉच हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

विचारोपरान्त, अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2017 के अतिरिक्त मद सं0 13 के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार संत कबीर महाविद्यालय, समस्तीपुर के दो शिक्षक क्रमशः (1) श्री विनोद कुमार, सहायक प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग एवं (2) श्री नवीन कुमार निरंजन, सहायक प्राध्यापक,

३२१२७
19.6.18

Page 2

८८

अंग्रेजी विभाग की चयन—समिति की अनुशंसा के आलोक में शासी निकाय द्वारा की गयी नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किये जाने की जाँच हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर सदस्यों द्वारा सहमति नहीं बनने के कारण तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 9. लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय, दरभंगा के शिक्षकों की निर्धारित वरीयता के सम्बंध में प्राप्त आपत्तियों एवं वरीतम शिक्षक को प्रभारी – प्राचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु शासी निकाय को निर्देशित करने के संबंध में विचार।

निर्णय: विचारोपरान्त, लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय, दरभंगा के शिक्षकों की निर्धारित वरीयता के सम्बंध में प्राप्त आपत्तियों एवं वरीतम शिक्षक डा० शिव नारायण यादव को प्रभारी – प्राचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु शासी निकाय को निर्देशित करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

मद सं010. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के 82 वीं सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14.05.2018 की कार्यवृत्त के आनुमोदन पर विचार।

निर्णय: विचारोपरान्त, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के 82 वीं सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14.05.2018 की कार्यवृत्त के मद सं0 82.1 के बिन्दु (ii) में विश्वविद्यालय, निदेशालय एवं विभागों के शैक्षणिक कार्यों के लिए शुल्क 5000/- तथा बाहरी लोगों तथा संस्थानों के लिए शुल्क 15000/- तथा बिन्दु (iii) में सुरक्षित राशि विश्वविद्यालय, निदेशालय एवं विभागों के शैक्षणिक कार्यों के लिए शुल्क 3000/- तथा बाहरी लोगों तथा संस्थानों के लिए शुल्क 7500/- देय होने पर सहमति बनी। साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी आने वाली आगामी प्रस्तावों में राशि का स्पष्ट उल्लेख एवं सुस्पष्ट निर्णय अंकित करेंगे। अन्य मदों को यथावत अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(छ) प०सं0—(40—43)

मद सं0 11. To consider the recommendation of Selection Committee for Promotion and Shifting the date of promotion of teachers from the post of Lecturer/Assistant Professor to Lecturer/Assistant Processor (Senior Scale); Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale) to Reader/Associate Professor; and Reader/Associate Professor to the rank of Professor in the subject of Political Science, Home Science & English under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Scheme.

निर्णय: **The Promotion and Shifting the date of promotion of teachers from the post of Lecturer/Assistant Professor to Lecturer/Assistant Processor (Senior Scale); Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale) to Reader/Associate Professor; and Reader/Associate Professor to the rank of Professor under Career Advancement Scheme/ Time Bound**

२३१२७५/१९.६.१८

Promotion Scheme in the subjects of Political Science, Home Science & English have been approved by the Selection Committee in its meeting respectively held on 15.04.2018, 26.04.2018 and 28.04.2018, was approved.
परिशिष्ट –(ज) पृ०सं०–(44–56)

मद सं० 12. To consider the implementation of the Statute for appointment of teachers in the Faculty of Law in the Universities of Bihar.

निर्णय: **The proposal of implementation of the Statute for appointment of teachers in the Faculty of Law in the Universities of Bihar, was considerd and approved.** परिशिष्ट –(ज) पृ०सं०–(57–67)

मद सं० 13. विश्वविद्यालय चयन समिति की बैठक दिनांक 20.07.2009 के द्वारा किये गये अनुशंसा के संबंध में एवं अभिषद् की बैठक दिनांक 17.08.2016 में लिये गये निर्णय के आलोक में प्राप्त विधिक मंतव्य पर पुनर्विचार।

निर्णय: दिनांक 17.08.2016 को आयोजित अभिषद् की बैठक में, अन्यान्य मद संख्यां 30 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के संदर्भ में “विधिसम्मत कार्रवाई” करने हेतु, विश्वविद्यालय अधिवक्ता (उच्च न्यायालय, पटना) से ली गयी विधिक मंतव्य के आलोक में दिनांक 20.07.2009 को आयोजित विश्वविद्यालय चयन समिति की बैठक में अंग्रेजी विषय के कुल 22 शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु किए गए अनुशंसाओं पर आज की बैठक में पुनर्विचार किया गया।

यह निर्णय लिया गया कि विधिक मंतव्य में उद्धृत उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा हाल में दिए गए निर्णयों एवं विहार सरकार के ‘State Litigation Policy, 2011 के Clause 4(C)’ के आलोक में, विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में दिनांक 20.07.2009 के बैठक में किये गये उक्त सभी अनुशंसाएँ पूर्णतः विधिमान्य हैं और इस संदर्भ में किसी अग्रेतर कार्रवाई की अब कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही, यह भी सहमति बनी कि अभिषद् के आज के इस निर्णय के आलोक में संबन्धित शिक्षकों के प्रोन्नति में विश्वविद्यालय द्वारा आगे सकारात्मक कार्रवाई की जाय।

मद सं० 14. अतिरिक्त यदि कोई हो(अध्यक्ष की अनुमति से)।

अतिरिक्त मद सं० 1 देव नारायण यादव महाविद्यालय, मधुबनी में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं० 12961 of 2017 (गया प्रसाद यादव बनाम ल०ना०० मिथिला विश्वविद्यालय एवं अन्य) में पारित आदेश के आलोक में पुर्णजीवित शासी निकाय के अध्यक्ष एवं सचिव को की गयी कारण-पृच्छा से सम्बन्धित उत्तर पर विचार करने के संबंध में।

निर्णय: विचारोपरान्त, देव नारायण यादव महाविद्यालय, मधुबनी में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं० 12961 of 2017 (गया प्रसाद यादव बनाम ल०ना००

३२१५७, १९.६.१८

मिथिला विश्वविद्यालय एवं अन्य) में पारित आदेश के आलोक में पुर्नजीवित शासी निकाय के अध्यक्ष एवं सचिव को की गयी कारण—पृच्छा से सम्बन्धित उत्तर के संबंध में विधिक राय प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त मद सं0 2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय निर्देश दिनांक 07.03.2018 एवं विश्वविद्यालय एवं कॉलेज, उच्चैठ बेनीपट्टी, मधुबनी में वर्ष 2012 में नियुक्त कर्मियों के बकाये वेतन के भुगतान के संबंध में।

निर्णय: विचारोपरान्त, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय निर्देश दिनांक 07.03.2018 एवं विश्वविद्यालय एवं कर्मचारी संघ के बीच दिनांक 31.05.2018 को हुए समझौते के आलोक में केऽभी०एस० कॉलेज, उच्चैठ बेनीपट्टी, मधुबनी में वर्ष 2012 में नियुक्त कर्मियों के बकाये वेतन से संबंधित राशि की मांग राज्य सरकार से किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही, नियुक्त कर्मियों को वेतन दिए जाने की सहमति बनी।

अतिरिक्त मद सं0 3. A Minute of the Advisory Council meeting of the University Department of Biotechnology was held on 08/05/2018 at 11:30 A.M. for kind approval of the Syndicate.

निर्णय: **The Minute of the Advisory Council meeting was held on 08/05/2018 of the University Department of Biotechnology, was approved.** परिशिष्ट –(ज) पृ०सं०–(68–69)

अतिरिक्त मद सं0 4. गत अभिषद् की बैठक दिनांक 15.04.2018 को मद सं0 14 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन करने हेतु आरक्षण नियमों का पालन करते हुए रोस्टर विलयरेंस प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। रोस्टर के अनुसार रिक्तियों की विवरणी अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय: गत अभिषद् की बैठक दिनांक 15.04.2018 के मद सं0 14 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन करने हेतु आरक्षण नियमों का पालन करते हुए रोस्टर विलयरेंस प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। रोस्टर के अनुसार रिक्तियों की विवरणी की सूचना ग्रहण किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 5. महिला अध्ययन केन्द्र की पॉचवी परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 02.06.2018 की कार्यवृत्त अभिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: विचारोपरान्त, महिला अध्ययन केन्द्र की पॉचवी परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 02.06.2018 की कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ट) पृ०सं०–(70)

अतिरिक्त मद सं0 6. To consider the recommendation of “Post Creation, Absorption and Confirmation Committee” dated 11.06.2018.

निर्णय: “Post Creation, Absorption and Confirmation Committee” की बैठक दिनांक 11.06.2018 के मद सं0 2 में एम० एल० एस० महाविद्यालय, दरभंगा एवं जे० एम० डी० पी० एल० महाविद्यालय, मधुबनी के भौतिकी एवं गणित विषय में नियुक्त

उत्तर
19.6.18

शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेखों को डा० अजित कुमार चौधरी के प्रश्न के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा देखेजाने के उपरान्त किए जाने की सहमति बनी। तथा अन्य सभी के मामले को यथावत अनुमोदित किया गया। साथ ही मद सं० ३ को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया। परिशिष्ट –(ठ) पृ०सं०–(71–72)

अतिरिक्त मद सं० ७. Regarding approval of Ordinance and Regulations of Choice Based Credit System (CBCS) (PG level) for its introduction in the University.

निर्णयः

The Ordinance and Regulations of Choice Based Credit System (CBCS) (PG level) for its introduction in the University, was approved.

अतिरिक्त मद सं० ८. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976(अद्यतन संशोधित) की धारा ५७(A)(6) के अनुपालनार्थ एम०आर०एस०एम० महाविद्यालय, आनन्दपुर, सहोड़ा, दरभंगा में १९.०४.२००७ के पूर्व शासी निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के अनुमोदन हेतु गठित चयन समिति को अनुशंसा एवं शासी निकाय द्वारा उसे स्वीकार किये जाने में की गयी विसंगतियों की जाँच हेतु गठित उपसमिति के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः

विचारोपरान्त, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976(अद्यतन संशोधित) की धारा ५७(A)(6) के अनुपालनार्थ एम०आर०एस०एम० महाविद्यालय, आनन्दपुर, सहोड़ा, दरभंगा में १९.०४.२००७ के पूर्व शासी निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के अनुमोदन हेतु गठित चयन समिति को अनुशंसा एवं शासी निकाय द्वारा उसे स्वीकार किये जाने में की गयी विसंगतियों की जाँच हेतु गठित जाँच समिति की प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।
परिशिष्ट –(ड) पृ०सं०–(73–75)

अन्यान्य—१

डा० विनोद कुमार चौधरी, श्री संजय सरावगी, डा० बैद्यनाथ चौधरी, के सामुहिक प्रस्ताव, सम्बद्ध समाविद्यालय के चयन समिति द्वारा अनुशंसित पदों पर नियुक्त शिक्षकों की अधिसूचना निर्गत किये जाने पर विचार किया जाय,

निर्णयः

सदन में प्रस्ताव पर गहन विचार किया गया विचारोपरान्त, सम्बद्ध महाविद्यालय के चयन समिति द्वारा अनुशंसित पदों पर नियुक्त शिक्षकों की सूचना/अधिसूचना निर्गत किये जाने के संबंध में विधिक सलाह लिए जाने के उपरान्त नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य—२

डा० अजित कुमार चौधरी के प्रस्ताव, डा० दिनेश प्रसाद शाह, शिक्षक, हिन्दी प्रतिनियोजि चन्द्रधारी विज्ञान महाविद्यालय, दरभंगा को उक्त महाविद्यालय के रिक्त स्थान पर समायोजन के अभिषद् के निर्णय का अनुपालन किया जाय,

निर्णयः

मामले विश्वविद्यालय में प्रक्रियाधीन है, जिसे अनुपालन किए जाने का आश्वासन अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

अन्यान्य—३

डा० अजित कुमार चौधरी के प्रस्ताव, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तीन कर्मीयों जिसकी नियुक्ति विज्ञापन सं० ०१ / २००८ से विधिवत अंतर्विक्षोपरान्त नियमानुकूल चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार सुरेन्द्र, कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री कमल कुमार राय, लेखापाल एवं श्री संतोष कुमार झा पुस्तकाध्यक्ष के पद पर किया गया उसी विज्ञापन

३२१८८/१९.६.०४

से नियुक्त अन्य कर्मियों को उनके नियुक्त पदों पर मई 2011 से सेवा नियमित कर सेवा लाभ दिया जा जुका है, समानता के आधार पर उक्त लाभ को उक्त तीन कर्मियों दिए जाने से संबंधित बनी जॉच समिति की अनुशंसा, सलाहकार समिति, वित्त समिति, अभिषद् एवं अधिषद् के द्वारा अनुमोदित निर्णय 'मई 2011 से नियमित सेवा/हित लाभ तीन कर्मियों श्री कुमार सुरेन्द्र, कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री कमल कुमार राय, लेखापाल एवं श्री संतोष कुमार झा, पुस्तकाध्यक्ष को अधिसूचित कर दिया जाय, निर्णय होने के उपरान्त भी भुगतान नहीं होने, के मामले को तत्काल निष्पादित किया जाय,

निर्णय: विचारोपरान्त, मामले को देखे जाने का आश्वासन माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिया गया।

अन्यान्य-4 डा० बैधनाथ चौधरी के प्रस्ताव, पूर्व में अभिषद् से अनुमोदित, एम० आर० एम० महाविद्यालय, दरभंगा के शिक्षक, डा० कन्हैया चौधरी, के लंबित भुगतान किया जाय,

निर्णय: प्रस्ताव पर विचार करने के बाद एम० आर० एम० महाविद्यालय, दरभंगा के शिक्षक, डा० कन्हैया चौधरी, के मामले को देखने हेतु दो सदस्यीय जॉच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें— 1. श्री संजय सरावगी 2. डा० अजित कुमार चौधरी, (माननीय अभिषद् सदस्य) — सदस्य होंगे। जॉच समिति के प्रतिवेदन के अनुशंसाओं के आलोक में नियमानुकूल भुगतान करने की सहमति बनी।

अन्यान्य-5 कुलानुशस्क के प्रस्ताव, जी० डी० महाविद्यालय, बेगुसराय में इन्डोर स्टेडियम से आउटडोर स्टेडियम तक पी० सी० सी० सड़क निर्माण पर विचार किया जाय,

निर्णय: सर्वसम्मति से जी० डी० महाविद्यालय, बेगुसराय में इन्डोर स्टेडियम से आउटडोर स्टेडियम तक पी० सी० सी० सड़क निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य-6 डा० विनोद चौधरी, के प्रस्ताव डी०बी०के०एन०महाविद्यालय, नरहन, समस्तीपुर के पूर्व प्रधानाचार्य डा० एस० सी० पाठक के द्वारा वहाँ संचालित स्ववित्तपोषित बी० एड० कार्यक्रम के राशि स्थानान्तरण एवं शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान नहीं किए जाने के मामले पर विचार किया जाय,

निर्णय: सर्वसम्मति से डी०बी०के०एन०महाविद्यालय, नरहन, समस्तीपुर के पूर्व प्रधानाचार्य डा० एस० सी० पाठक के द्वारा वहाँ संचालित स्ववित्तपोषित बी० एड० कार्यक्रम के राशि स्थानान्तरण एवं शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान नहीं किए जाने के मामले की जॉच हेतु एक जॉच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही नियमानुकूल शिक्षकों के वेतन भुगतान किए जाने की सहमति भी बनी।

अन्यान्य-7 श्री लक्ष्मेश्वर राय, के प्रस्ताव, एस० एम० जे० महाविद्यालय खाजेडीह, मधुबनी के दाता सदस्यों के मामले की जॉच किया जाय,

निर्णयः

सर्वसम्मति से एस० एम० जे० महाविद्यालय खाजेडीह, मधुबनी के दाता सदस्यों के मामले की जाँच हेतु एक त्री-सदस्यीय समिति गठन का निर्णय लिया गया जिसमें निम्न सदस्य होंगे—

- | | |
|--|---------|
| 1. डा० अजित कुमार चौधरी — माननीय अभिषद् सदस्य | —सदस्य |
| 2. डा० अजय नाथ झा — कुलानुशासक | —सदस्य |
| 3. डा० के० सी० सिंह — महाविद्यालय निरीक्षक (कला एवं वा०) | —संयोजक |

बैठक के अंत में कुलसचिव द्वारा बैठक के संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष—सह—कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

ह० /—

(मुस्तफा कमाल अंसारी)
कुलसचिव—सह—सचिव

ज्ञापांक : HB-448/18

ह० /—

(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति—सह—अध्यक्ष

दिनांक : 19-6-2018

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप—सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति—कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

19/6/18
कुलसचिव

19/6/18
दृष्टिकृत 19.6.18